(1)

फार्म – ए

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बक्सर

(पीठासीन पदाधिकारी–उदय प्रताप सिंह)

निर्णय का दिनांक : 10.03.2026

एस0सी0/एस0टी0 वाद संख्या 101/2022

सिमरी थाना कांड संख्या–35/2022, अंतर्गत धारा–341, 323, 354(बी), 307,504, 506/34 भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s)(w1), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम।

सूचक	मिथलेश कुमार गोंड पिता शिवशंकर गोंड– साकिन–चुन्नीटांड, थाना–सिमरी, जिला–बक्सर।
अभियोजन की तरफ से	श्री गोपाल जी शर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. चंदन मिश्रा पिता बलिराम मिश्रा 2. बेचन मिश्रा पिता स्वा0 परशुराम मिश्रा 3. धनजी मिश्रा पिता चंदन मिश्रा 4. सर्वदेव मिश्रा पिता स्वा0 रामविलास मिश्रा 5. कृष्णदेव मिश्रा पिता स्वा0 रामविलास मिश्रा सभी साकिन–चुन्नीटांड, थाना–सिमरी, जिला–बक्सर।
बचाव पक्ष की तरफ से	1. श्री कृपाशंकर राय, विद्वान अधिवक्ता (अभियुक्तगण की ओर से)

फार्म – बी

10/03/26

घटना की तारीख	23.01.2022
प्राथमिकी की तिथि	24.01.2022
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	12.09.2022
संज्ञान की तिथि	31.10.2023
आरोप गठित किये जाने की तिथि	29.10.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	04.02.2025
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	24.02.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्तों की संख्या	05

अभियुक्तगण का नाम	1. चंदन मिश्रा 2. बेचन मिश्रा 3. धनजी मिश्रा 4. सर्वदेव मिश्रा 5. कृष्णदेव मिश्रा
गिरफ्तारी की तिथि	अभियुक्त चंदन मिश्रा, सर्वदेव मिश्रा, कृष्णदेव मिश्रा, धनजी मिश्रा दिनांक 02.04.2022 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया एवं अभियुक्त बेचन मिश्रा ने दिनांक 23.08.2022 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	अभियुक्त चंदन मिश्रा, सर्वदेव मिश्रा, कृष्णदेव मिश्रा, धनजी मिश्रा को दिनांक 02.04.2022 एवं अभियुक्त बेचन मिश्रा को दिनांक 23.08.2022 को न्यायालय के द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया ।
आरोपित धारा	अभियुक्तों पर धारा 341 / 149, 323 / 149, 504 / 149, भा0द0सं0 एवं 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम ।
क्या अभियुक्तों दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	**दोषमुक्त**
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	N.A.

10/03/26

फार्म – सी
अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

(क) अभियोजन :

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–01	संजू देवी	
अभियोजन साक्षी संख्या–02	प्रभावती देवी	
अभियोजन साक्षी संख्या–03	मिथलेश कुमार गोंड	
अभियोजन साक्षी संख्या–04	नयन भर	

(ख) बचाव पक्ष साक्षी :

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस

		साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी
NIL	NIL	NIL

(ग) न्यायालय साक्षी :

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी
NIL	NIL	NIL

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

(क) अभियोजन : प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–पी0–1 / पी0 डबलू–3	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।

(ख) बचाव पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

(ग) न्यायालय प्रदर्श :

10/03/26

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

(घ) वस्तु प्रदर्श :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त सभी पॉच अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता–1860 की धारा–341 / 149, 323 / 149, 504 / 149, भा0द0सं0 एवं 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम से आरोपित किया गया है।
2. अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि सूचक मिथेलश कुमार गोंड के द्वारा सिमरी थाना बक्सर के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया दिनांक 23.01.2022 को समय

करीब 4:25 बजे शा में सूचक का भाई दिनेश कुमार गोंड शिवमंदीर के पास खेल रहा था इसी बीच ओम जी मिश्रा और महान जी मिश्रा गाली देने लगे और मारने लगे। जब उसका भाई रोते–रोते घर आया ओर सूचक के पिता जी से सभी बात बताने लगा तभी कृष्णदेव मिश्रा के दोनों लड़को ने सूचक के दरवाजे पर परिवार के लेकर इकठ्ठा होने लगे और चंदन मिश्रा ने घर में घूस कर सूचक की बहन के साथ छेड़खानी करने लगे और उसका कपड़ा फाड़ने लगी तो उसे बचाने सूचक के मॉ जब विरोध करने लगी तो सर्वदेव मिश्रा ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया जिससे उसकी सर फट गया और सूचक की मॉ वही पर बेहोस हो गई। सभी अभियुक्तगण सूचक और उसके परिवार के साथ लाठी–डंडा और कुल्हाड़ी से मारने लगे। इसी क्रम में संजू देवी को चंदन मिश्रा ने रड से मारकर सिर फोड दिये और सूचक का हाथ चोटील कर दिये और धमकी देते हुये बोले कि यदि केस करने जाओगे तो आगे भी इसका पिरणाम भूगतना पड़ेगा।

3. सूचक के उपरोक्त टंकित आवेदन के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध सिमरी थाना कांड संख्या–35/2022, अंतर्गत धारा–341, 323, 354(बी), 307,504, 506/34 भा0द0सं0 एवं 3(1)(r)(s)(w1), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के तहत दर्ज की गयी और पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान किया गया। मामले का अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–466/2022 दिनांक–12.09.2022 अंतर्गत धारा– 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 एवं धारा 3(1)(r)(s)(w1), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम इस न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया। दाखिल किये गये उपरोक्त मूल आरोप पत्र के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

10/03/24

4. विचारण के क्रम में, अभियुक्त के विरूद्ध दाखिल किए गए उपरोक्त आरोप पत्र एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर भा0द0स0 की धारा–341/149, 323/149, 504/149, भा0द0सं0 एवं 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) एस0सी0 /एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। विरचित किया गया आरोप न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया और न्यायिक विचारण की मांग की।

5. **अभियोजन पक्ष का मौखिक साक्ष्यः–** अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा की गयीः–

- अभियोजन साक्षी संख्या–01, संजू देवी
- अभियोजन साक्षी संख्या–02, प्रभावती देवी

- अभियोजन साक्षी संख्या–03, मिथलेश कुमार गोंड
- अभियोजन साक्षी संख्या–04, नयन भर

6. अभियोजन पक्ष का दस्तावेजी साक्ष्यः– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज को साबित करा कर प्रदर्श अंकित कराया गया है।

- प्रदर्श–पी0–1/पी0 डबलू–3 : लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।

7. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य– इस वाद में बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. अभियुक्त की परीक्षा अर्न्तगत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. की गयी, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को विस्तारपूर्वक बताया गया कि इस वाद में उनके विरुद्ध कौन–कौन से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और इस विषय में अभियुक्तों क्या कहना चाहतें हैं ? अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इस वाद मे उन पर लगाये गये सभी आरोप गलत है, साक्षियों ने झुठी गवाही दी है, अभियुक्तों के विरूद्ध झूठा केस दर्ज कराया गया है और वे निर्दोष है, लेकिन झूठा केस दर्ज कराये जाने के कारणों के संबंध में कोई स्पष्टिकरण अभियुक्तों द्वारा नहीं दिया गया है।

10/03/26

9. पक्षकारों की बहस/तर्क :– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री गोपाल जी शर्मा ने वाद की संपूर्ण घटना का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए बताया है कि इस वाद में अभियुक्तों के द्वारा सूचक और उसके परिवार के लोगों के साथ मार–पीट एवं गाली–गलौज करने का गंभीर आरोप है जिससे अभियुक्तों के द्वारा बिना किसी संदेह के अपराध का किया जाना साबित होता है। उनका यह भी कहना है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों मे थोड़ा–बहुत विरोधाभास होना स्वाभाविक है क्योंकि घटना के लम्बे अंतराल के उपरान्त न्यायालय के समक्ष उनकी परीक्षा की गई है।

10. दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कृपाशंकर राय का कहना है इस मामले में अभियुक्तगण निर्दोष हैं और गलत तथ्यों के आधार पर पुलिस प्रशासन के साथ मिलीभगत करके सूचिका द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध झूठा मुकदमा बनवाया गया है। उनका यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर अभियुक्तों के विरुद्ध कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपना मामला सभी शंकाओं से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्ति के हकदार हैं। संक्षिप्तता के दृष्टिकोण से पक्षकारों की बहस एवं तर्को का विस्तापूर्वक उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है, इनका उल्लेख साक्ष्य की विवेचना के साथ किया जाएगा।

11. वाद में अवधारण के बिंदुः– इस वाद के निस्तारण के लिए अवधारण के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं:–

(ए) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को

सभी शंकाओं से परे साबित करने में सफल रहा है ?

(बी) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से क्या इस मामले में अभियुक्तगण द्वारा किसी अन्य अपराध का किया जाना साबित होता है ?

(सी) दोषसिद्धी एवं दंडादेश, यदि कोई हो ।

अभियोजन साक्ष्य का सारांश

12. अभियोजन द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए केवल एक साक्षी की परीक्षा करायी गयी है। इनमें से **अभियोजन साक्षी सं0–1** संजू देवी है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना के बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इस साक्षी का बयान नहीं हुआ था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर उनको इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी है जिसमें उसने पुलिस को दिये गये कथन अंतर्गत 161 दंड प्रकिया संहिता से इन्कार किया है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि किसी भी अभियुक्त ने जाति सूचक शब्द नहीं कहा था। मुझे किसी ने नहीं मारा।

13. अभियोजन साक्षी सं0–2 प्रभावती देवी है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना के बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इस साक्षी का बयान नहीं हुआ था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर उनको इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी है जिसमें उसने पुलिस को दिये गये कथन अंतर्गत 161 दंड प्रकिया संहिता से इन्कार किया है।

10/03/26

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि दोनों पक्षों में आपस में सुलह हो गया है और सभी अच्छे से रह रहे हैं। उसे गिरने से चोट लगी थी।

14. अभियोजन साक्षी सं0–3, मिथलेश कुमार गोंड जो इस केस का सूचक भी है। अपने मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक 23.01.2022 को संध्या 4:30 बजे का हैं उस समय उसका छोटा भाई दिनेश कुमार गोंड शिव मंदिर के पास खेल रहा था कि वही पर ओमजी मिश्रा और महान जी मिश्रा गाली देते हूये मारपीट करने लगे। सूचक का भाई रोते हुये घर आकर पिताजी से सारी बात ही रहा था कि सभी अभियुक्तगण आये और मार–पीट करने लगे। मारपीट में सूचक, प्रभावती देवी, संजू देवी, अमृता कुमारी को चोंटे लगी थी। सभी अभियुक्तों को पहचानता है। घटना के संबंध में जो लिखित आवेदन पुलिस के समक्ष दिया गया था जिसपर इस

साक्षी का हस्ताक्षर है। इस साक्षी के पहचान पर इसे प्रदर्श–पी0–1/पी0डब्लू–3 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि इसने स्वंय आवेदन नहीं लिखा था और इस आवेदन में क्या लिखा था पढ़कर भी नहीं सुनाया गया था। दरोगा जी के कहने पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर बना दिया था। हमलोगों को गिरने से चोंटे आई है। इसे किसे ने नहीं मारा था। दोनों पक्षों में स्वेच्छा से सुलह हो गया है। किसी ने उन लोगों के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। दोनों पक्षों में जितने भी मुकदमें है सभी सुलह हो गया है।

15. **अभियोजन साक्षी सं0–4,** नयन भर है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना के बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इस साक्षी का बयान नहीं हुआ था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उन्हें जिरह का अवसर प्रदान किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर उनको इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी है जिसमें उसने पुलिस को दिये गये कथन अंतर्गत 161 दंड प्रकिया संहिता से इन्कार किया है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि किसी भी अभियुक्तगण उसके ग्रामीण है इसलिये पहचानता है। वह नोटिस पर गवाही देना आया है।

10/03/24

साक्ष्य का विवेचन एवं न्यायालय के निष्कर्षः

अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के पश्चात् अवधारण के बिंदुओं पर इस न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

अवधारण बिंदु संख्या (ए) एवं (बी)

16. अवधारण के उपरोक्त दोनों बिंदु एक–दूसरे से सह–संबंधित हैं अतः इन दोनों की विवेचना एक साथ की जायेगी। अवधारण का प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी प्रकार के संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ? चूँकि आपराधिक न्याय प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत है कि सिवाय कुछ अपवादजनक परिस्थितियों के जैसा कि विधि द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन को ही अपना मामला बिना किसी संदेह के प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होता है और अभियुक्तों पर अपनी निर्दोषिता साबित करने का कोई भार नहीं होता है। विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अभियोजन को अपना मामला प्रत्यक्ष या परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर स्वतः ही साबित करना होता है और बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत ना करने या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की कमजोरी के आधार पर अभियुक्तों की

दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए। कोई भी ऐसा तथ्य एवं साक्ष्य जो अभियोजन के मामले में संदेह पैदा करता है, अभियुक्तगण उसका फायदा लेने का हकदार होते है।

17. अभियोजन साक्षी सं0–03 जो इस केस की सूचक हैं। अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामलें का आंशिक रूप से समर्थन कर कहा है कि घटना दिनांक 23.01.2022 को संध्या 4:30 बजे का हैं उस समय उसका छोटा भाई दिनेश कुमार गोंड शिव मंदिर के पास खेल रहा था कि वही पर ओमजी मिश्रा और महान जी मिश्रा गाली देते हूये मारपीट करने लगे। सूचक का भाई रोते हुये घर आकर पिताजी से सारी बात ही रहा था कि सभी अभियुक्तगण आये और मार–पीट करने लगे। मारपीट में सूचक, प्रभावती देवी, संजू देवी, अमृता कुमारी को चोंटे लगी थी। सभी अभियुक्तों को पहचानता है। घटना के संबंध में जो लिखित आवेदन पुलिस के समक्ष दिया गया था जिसपर इस साक्षी का हस्ताक्षर है। इस साक्षी के पहचान पर इसे प्रदर्श–पी0–1 / पी0डब्लू–3 अंकित किया जाता है। लेकिन प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है इसने स्वंय आवेदन नहीं लिखा था और इस आवेदन में क्या लिखा था पढ़कर भी नहीं सुनाया गया था। दरोगा जी के कहने पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर बना दिया था। हमलोगों को गिरने से चोंटे आई है। हमलोगों को किसे ने नहीं मारा था। दोनों पक्षों में स्वेच्छा से सुलह हो गया है। किसी ने उन लोगों के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। दोनों पक्षों में जितने भी मुकदमें है सभी सुलह हो गया है। साक्षी संख्या–1, 2 एवं 4 ने अपनी–अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है। प्रतिपरीक्षा में इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन्हे किसी भी अभियुक्त ने नहीं मारा है और न ही जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। कोई भी साक्षी यह स्पष्ट नहीं करता है कि क्या घटना घटी थी । पत्रावली पर कोई भी विश्वसनीय साक्षी और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह स्पष्ट करता हो कि क्या घटना घटी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष न तो मामलें के अनुसंधानकर्ता की परीक्षा कराई गई हैं और न ही संबंधित चिकित्साधिकारी की परीक्षा कराई गई है जिसके द्वारा जख्मियों का ईलाज किया जाना दर्शाया गया हैं। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं संबंधित चिकित्साधिकारी की परीक्षा न कराये जाने के कारण अभियुक्तगण को अपना बचाव करने के अधिकार पर विपरित प्रभाव कारित हुआ हैं। अभियोजन पक्ष के साक्षी के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है जो अभियोजन के मामलें में संदेह उत्पन्न करता है।

10/03/26

18. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की विवेचना से साबित होता है कि इस वाद में कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे अभियोजन का मामला साबित होता हो। अतः इस मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं विचारण के आधार पर इस न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों द्वारा किसी अन्य अपराध का

किया जाना भी साबित नहीं होता है। परिणामतः अवधारण बिंदु संख्या (ए) एवं (बी) का विनिश्चय तद्नुसार किया जाता है।

19. दोषमुक्ति का आदेश– परिणामस्वरूप इस वाद के सभी पॉच अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धार– 341 / 149, 323 / 149, 504 / 149, भा0द0सं0 एवं 3(i)(r)(s)(w), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम से **दोषमुक्त** किया जाता है। इस वाद में अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः अभियुक्तगण एवं उनके प्रतिभूओं को उनके द्वारा दाखिल किये गये जमानतीय बंधपत्रों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि बाद आवश्यक कार्यवाही इस वाद के संपूर्ण अभिलेख को नियमानुसार अविलम्ब अभिलेखागार में जमा कराया जाए।

लेखापित

Uday Pratap Singh 10-03-26

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,बक्सर।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाकर एवं शुद्धिकृत करने के उपरांत खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

लेखापित

Uday Pratap Singh 10.3.26.

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, बक्सर।